Aggregate Measurement of Support for Crops

2742. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) wheher the Aggregate Measurement of Support (AMS) for 17 crops during 1986-89 was to the tune of Rs. 24000/- crores (negative) annuals;

(b) the total value of External Reference Price for all the 17 crops during 1986-89 and 1992-93; and

(c) the total value of Applied, Administered price of 17 crops for 1986-89 and 1992-93?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) to (c) The average product specific Aggregate Measurement of Support (AMS) for 17 crops during the reference period of 1986—89 was to the tune of minus Rs. 24,440 crores (Approx.). The average AMS on the product specific basis for 17 crops was calculated on the basis of average value of Applied Administered Price, External Reference Price and the Eligible production during 1986—89 as per the details given in the Statement. (*see* below). These values were calculated only for the period 1986—89 specifically for the purpose of GATT-94 and not for 1992-93.

Statement

Average values of Applied Administered Price, External Reference Price and the Eligible production during 1986—89 calculated for GATT-94.

Agricultural Product	Applied administered price (Rs. per tonne)	External ref. price (Rs. per tonne)	Eligible production (million tonne)
1	2	3	4
Rice	2280	3520	62.6
Wheat	1740	3540	49.98
Bajra	1373	2704	5.20
Jawar	1373	2945	10.52
Barley	1383	4024	1.59
Maize	1373	3121	7.18
Gram	2983	4128	4.43
Groundnut	3966.67	6900	7.63
Rapeseed & Mustard	4350	6884	3.48
Cotton	5633	17333	1.25
Soyabean (Yellow)	3033	3081	1.09
Urad	3350	4385	1.37
Moong	3350	4782	1.24
Tur	3350	5243	2.41
Tobacco	12.38	12.24	92.33
Jute (Raw)	2383	5599	1.19
Sugarcane	188.33	156.16	88.28

Source: Ministry of Commerce

राष्ट्रीय मत्स्य नीति के लिये कार्य दल

2743. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मत्स्य नीति बनाने के लिये किसी कार्य दल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय मत्स्य नीति के संबंध में कोई रूपरेखा बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा और उसका तथ्य-संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम): (क) जी, हां। सरकार ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया था।

(ख) और (ग) विशेषज्ञ दल ने राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति का प्रारूप तैयार किया था जिसे सभी राज्यों / संघ शासित प्रदेशों, संबंधित मंत्रालयों / विभागों तथा अन्य संबंधितों को उनकी टिप्पणियों के लिए परिचालित किया गया था। प्राप्त टिप्पणियों पर सावधानीपूर्वक विचार विमर्श करने के बाद नीति प्रारूप को अन्तिम रूप दिया गया है और केन्द्रीय मात्स्यिकी बोर्ड ने उसे अनुमोदित कर दिया है। राष्ट्रीय मात्स्यिकी नीति के प्रारूप में निर्धारित किये गए उद्देश्य निम्नवत हैं:—

(i) जलीय संसाधनों तथा आनुवांशिक विविधता का संकलन करना;

(ii) मछली उत्पादन तथा मछुवारों, पछली पालकों तथा मछली उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि करना;